राजस्थान सरकार
शिक्षा–विभाग

कार्यालय आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः एफ 4 (पॉलिसी) आकाशि/अनु/2010–11/2387 दिनांकः

विज्ञप्ति

राज्य सरकार द्वारा सत्र 2010–11 से पूर्व में संचालित निजी महाविद्यालयों को सत्र 2011–12 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि/स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु आवेदन की अन्तिम तिथियॉ बिना विलम्ब शुल्क 31 अगस्त, 2010 व विलम्ब शुल्क सहित 30 सितम्बर, 2010 निर्धारित की गई थी।

उक्त क्रम में राज्य सरकार के निर्देशानुसार ऐसी संस्थायें जो सत्र 2010–11 से पूर्व में संचालित हैं तथा जिन्होंने निर्धारित तिथि 30 सितम्बर, 2010 (विलम्ब शुल्क सहित) सत्र 2011–12 के लिए अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि/स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन नहीं किया है अथवा आवेदन प्रस्तुत किया है, परन्तु पूर्ण शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसी संस्थाओं का आवेदन विलम्ब से मानते हुए पेनेल्टी (शास्ति शुल्क) राशि रूपये 20,000/– सहित दिनांक 31.12.2010 तक इनका आवेदन स्वीकार किया जा सकेगा। अतः ये संस्थायें उक्त दिनांक तक मय निर्धारित शुल्क आवेदन कर सकती हैं।

निर्धारित शुल्क इस प्रकार रहेगा :

(राशि रू0 में)

प्रकार	आवेदन शुल्क	निरीक्षण शुल्क	विलम्ब शुल्क	शास्ति शुल्क	कुल
अस्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र अभिवृद्धि हेतु	7500	–	10000	20000	37500
स्थाई अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु	7500	10000	10000	20000	47500

दिनांक 31.12.2010 के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार किया जाना सम्भव नहीं होगा। डिमाण्ड ड्राफ्ट **आयुक्त कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर** के नाम संलग्न करें ।

अधिक जानकारी एवं आवेदन पत्र इस विभाग की बेवसाइट www.collegeeducation.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। जो आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में नहीं होंगे, उन्हें निरस्त कर दिया जावेगा।

(डा0 पी.एल. अग्रवाल)
आयुक्त